

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL  
BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 135 OF 2024  
IN THE MATTER OF:  
Khusbu Singh Applicant

Versus

State of U.P. and Ors. Respondents

### I N D E X

Sr. No.	Particulars	pages
1.	Reply on behalf of respondent No. 3 District Magistrate	
2.	Annexure R-1 True copy of letter dated 14.12.2023 of the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj	
3.	Annexure R-2 True copy of the letter dated 06.01.2024	
4.	Annexure R-3 True copy of the investigation report Dated 12.01.2024	
5.	Annexure R-4 True copy of the order dated 11.03.2024	
6.	Annexure R-5 True copy of the letter dated 08.08.2024	
7.	Annexure R-6 True copy of the letter dated 09.08.2024 Of the forest department	
8.	Annexure R-7 True copy of the letter dated 05.11.2025	

9. Annexure R-8  
True copy of the letter No. 1447/15-1  
Dated 09.11.2024 of the Divisional Director,  
Social Forestry Division, Prayagraj
10. Annexure R-9  
True cop of the letter No.G01101/OA No.  
135/2024/2023-24 dated 05.11.2024 of  
Regional Officer, UP Pollution Control  
Board, Prayagraj
11. Annexure R-10  
True copy of the show cause notice  
dated 11.11.2024
12. Annexure R-11  
True copy of the letter dated No. 1692/Mineral/  
2024-25 dated 22.08.2024
13. Annexure R-12  
True copy of the letter dated 27.08.2024
14. Annexure R-13  
True copy of the letter dated 24.09.2024  
Of the Divisional Director, Social Forestry  
Division, Prayagraj

Respondent No. 03



Through

[MUKESH VERMA]  
Advocate for respondent No. 03  
Ch. No. 50, Old Block,  
Supreme Court of India,  
New Delhi -110 001  
(M): 9810108098  
E-mail: [mvermadv@gmail.com](mailto:mvermadv@gmail.com)

New Delhi  
Dated: 18.11.2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

Original Application No.135/2024

Khusbu Singh

...Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

...Respondents


**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 03 DISTRICT MAGISTRATE**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.10.2024 passed in O.A. No.135/2024 Khusbu Singh Vs State of U.P. & Ors. had directed the Member Secretary and SEIAA U.P. to explain as to how and in what circumstances consent and clearance were issued permitting mining activities in prohibited area and that too in violation of directions of the Hon'ble Supreme Court- The operative part of the order dated 24.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is as follows:-

22. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB and SEIAA, UP to explain as to how and is what circumstances, consent and clearances were issued for permitting mining activities in prohibited areas and that too in violation of directions issued by Supreme Court. Similar reply shall also be submitted by concerned District Magistrates, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), Mirzapur and Prayagraj.

23. If no valid justification is submitted, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, SEIAA, District Magistrate, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), District Magistrate, Mirzapur and




*[Handwritten Signature]*

District Magistrate, Prayagraj shall remain present before Tribunal on the next date.

24. List for further consideration on 20.11.2024.

2. That in regard to banning of sand mining by sand mining lease holders and fishing by boatmen / local villagers in the area extending up to 30 km from both banks of the river Ganga under the districts of Prayagraj, Bhadohi and Mirzapur, which has been declared as Turtle Wildlife Sanctuary by the notification number-346/81-4-2020-823/2008 TC dated 17.03.2020 of the Government of Uttar Pradesh, by letter number-2018/15-1 dated 14.12.2023 of the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, by clarifying the identified villages of Prayagraj district and the Turtle Wildlife Sanctuary area, request was made for the conservation of turtles and other aquatic animals in the wildlife sanctuary, in the area extending up to 30 km from both banks of the river Ganga and outside its boundary at least 10 km of land not to sanction any new mining lease for sand mining and the previously sanctioned sand mining lease should be cancelled. True copy of dated 14.12.2023 of the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj is annexed herewith and marked as **Annexure R-1** (pg No. to )



3 That in continuation of the above letter dated 14.12.2023 of the Forest Department, by letter number-2399/ Mineral /2023-24 dated 06.01.2024, the Mines Inspector, Prayagraj and Surveyor, Regional Office, Prayagraj were directed to conduct a field investigation in the case and provide a clear investigation report. True copy of letter dated 06.01.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2** (pg No. to )

4. That in compliance with the said order, the investigation team inspected 10 ordinary sand blocks of the Ganga river and submitted the investigation report dated 12.01.2024, in which it is mentioned that "The distance of the above leases was matched on the basis of the coordinates of the banks of the Turtle Sanctuary given by the Forest Department, it was found that all the approved and proposed mining areas of ordinary sand in the Ganga river bed area located in Prayagraj district are located at a distance of more than 10 km from the Prayagraj border of the Turtle Sanctuary." True copy of investigation report dated 12.01.2024 submitted by the investigation team is annexed herewith and marked as **Annexure R-3** (pg No. to )

5. That with reference to order dated 10.11.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court New Delhi in Civil Appeal No. 3661-3662 of the year 2020 titled State of Bihar Vs. Pawan Kumar, letter dated 04.12.2023 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and letter dated 14.12.2023 of Director/Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, Environment Directorate, U.P., letter No. 2182/M-228 Mineral of Director, Directorate of Geology & Mining, U.P., Lucknow and in compliance of with the order given by Policy-2017 DSR dated 12.02.2024, in District Prayagraj Sub Divisional Committee (SDC) has been constituted by order number-2984/ Mineral /2023-24 dated 11.03.2024 in which the following members are nominated:-

1. Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Meja, Bara, Karchana, Handia, Soraon, Koraon and Phulpur Prayagraj



*[Handwritten signature]*

2. Forests Regional officer nominated by Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj
3. Executive Engineer, Irrigation Department, Prayagraj.
4. Regional Officer, Pollution Control Board, Prayagraj.
5. Mines Inspector, Prayagraj.
6. Surveyor/ Cartographer, Regional Office, Prayagraj.

True copy of order dated 11.03.2024 is annexed herewith and marked as Annexure R-4 (pg No. to )

6. That in continuation of the above, by letter number-436/15-1 dated 08.08.2024 of forest department regarding inclusion of ordinary sand mining area in new district survey report , it was told that giving no objection certificate is not possible for block number-29 of plot number-2A of village Paranipur Kachhar situated within Tehsil Meja of district Prayagraj, block number-30 of plot number-2A, 45, block number-31 and 32 of plot number-01, 61A and by letter number-445/15-1 dated 09.08.2024, it was told that no objection is possible to be issued for sand mining lease within radius of 10 km of the eco-sensitive zone of Turtle Wildlife Sanctuary on block of 33 and 34 of plot No.1 of village Bhuipara Kachhar situated within thesil Meja. True copy of letter dated 08.08.2024 of forest department is annexed herewith and marked as Annexure R-5 (pg No. to )

True copy of letter dated 09.08.2024 of forest department is annexed herewith and marked as Annexure R-6 (pg No. to )




By letter number-G00779/NGT of Regional Officer, Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Prayagraj OA No. 135/2024 dated 16.08.2024 (Annexure-8) by which in compliance of order dated 30.07.2024 passed in OA No. 135/2024 Khushboo

*[Handwritten signature]*

Singh vs. State of Uttar Pradesh request was made that if any mining lease has been issued in the Turtle Wildlife Sanctuary falling in Prayagraj district, then action should be taken and in which regard by aforementioned letter of Forest Department issuing no objection certificate for which mining area to be not possession, the same has been cancelled, the details of which are as follows:-


Sl No.	Name and address of lease holder	Name of area				date of forest no objection Issued In earlier	lease period	Remark
		Tehsil	Vill.	Block No.	Rakb a (hec.)			
1	M/s Prakash enterprises prop. Shri prakash Chandra Shukla s/o Sri Lal Chandra Shukla R/o village parmanandpur Tehsil Handia Prayagraj	Meja/ Handia	Paranipur	29	5.00	06.09.2019	20.11.2018 to 28.11.2023	The mining lease has been cancelled by order no. 1175/mineral/ e-auction sand/2019-20 dated 19.10.2019
2	M/s Mahip Construction Prop. Shri Mahip Singh son of late Shesh Pratap Singh R/o Vishenpura P.O. Deharia Uruwa Tehsil Meja Prayagraj	Meja/ Handia	Paranipur	30	5.00	06.09.2019	06.01.2021 to 05.01.2026	The mining lease has been cancelled by order no. 1261/mineral/2023-24 dated 11.07.2024.
3	Smt. Shakuntala wife of Shri Punjab Singh R/o village Bishenpura P.S. Deharia Tehsil Meja Prayagraj	Meja/ Handia	Paranipur	31	5.00	06.09.2019	05.01.2022 to 04.01.2027	The mining lease has been cancelled by order 10-1002/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024. Again, by letter number-917 dated 24.09.2024 of the Forest Department, the No Objection Certificate has been issued for the area in question.
4.	M/S Singh construction Prop. Shri Dhiraj Singh son of Shri Kamlaker Singh R/o village and Post Ghurpur Tehsil Bara Prayagraj	Meja	Paranipur	32	5.00	06.09.2019	-	The Letter of Intent No.-1042/Mineral/ 2022-23, dated 09.09.2022, issued for the said mining area has been cancelled by order 10-1000/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024
5.	M/s Gayatri construction Prop. Smt. Gayatri Singh address- Phase-2 Seopur Pandeypur Varansi	Meja	Paranipur	33	5.00	06.09.2019	-	The Letter of Intent No.-2514/Mineral/ 2023-24, dated 25.01.2024, issued for the said mining area has been cancelled by order 10-1091/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024
6.	Shri Arun Singh s/o Sri Dharmendra Pratap Singh R/o village Mandakhias Tappa Manda Meja Prayagraj	Meja	Bhuipara	34	5.00	06.09.2019	-	The Letter of Intent No.-1545/Mineral/ 2022-23, dated 9.09.2022, issued for the said mining area has been cancelled by order No.508/Mineral/2023-24 dated 29.05.2023



7. That ordinary sand mining area mentioned at serial number 01 of the above table, Tehsil Meja / Handia, Village Paranipur Block No.-29,

Area 5.00 Hectare, for which Forest Department had issued No Objection Certificate dated on 06.09.2019, from 20.11.2018 to 28.11.2023 in favour of M/s Prakash Enterprises Prop. Shri Prakash Chandra Shukla son Shri Lal Chandra Shukla resident of village Paramanandpur, Tehsil Handia, Prayagraj. Due to violation of UP Sub Mineral (Prevention) Rules-1963 and the conditions of lease deed by the lessee, it has been cancelled by order number-1175/ Mineral / E-auction sand / 2019-20 dated 19.10.2019.

In the process of preparing the new District Survey Report 2024, the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, vide letter no. 436/15-1 dated 08.08.2024 did not issue forest clearance certificate for the said general sand mining area as it falls within the boundary (10) km) of the Eco-sensitive Zone of Kachhua Wildlife Sanctuary. In compliance with the order dated 24.10.2024 passed in OA No. 135/2024, in order to clarify the situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj by letter No.-2116/ Mineral /2024-25 dated 05.11.2024, the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj by letter No.-1447/15-1 dated 09.11.2024 has stated that the said ordinary sand block number-29 is outside the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of turtle Wildlife Sanctuary. True copy of letter dated 05.11.2024 of Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj is annexed herewith and marked as ANNEXURE R-7 (Pg. No. to ).




True copy of letter No.-1447/15-1 dated 09.11.2024 of Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj is annexed herewith and marked as ANNEXURE R-8 (Pg. No. to ).

On the basis of the report submitted by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj by letter dated 09.11.2024, the said block number-29 is outside the eco-sensitive zone of Turtle Wildlife Sanctuary. Therefore, the said block number-29 is not covered by OA No.-135/2024 Khushboo Singh vs. State of Uttar Pradesh and others.

8. That in the ordinary sand mining area marked at serial number 02 of the above table, Tehsil Meja / Handia, Village Paranipur Block No. 30, area 5.00 hectare, for which Forest No Objection Certificate was issued by the Forest Department on 06.09.2019, mining lease was sanctioned / executed in favor of M/s Maheep Construction Pro. Shri Maheep Singh son of late Shesh Pratap Singh resident Vishenpura, PO Doharia, Uruwa, Tehsil Meja, Prayagraj from 06.01.2021 to 05.01.2026. Due to violation of the conditions of UP Sub Mineral (Prevention) Rules-1963 and lease deed by the lessee, it was cancelled by order number-1281 / Mineral / 2023-24 dated 11.07.2024.

In the process of preparing the new District Survey Report 2024, due to falling within the perimeter of the boundary (10 km) of the Eco Sensitive Zone of Turtle Wildlife Sanctuary, the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj for the said general sand mining area by letter number-436/15-1 dated 08.08.2024 did not issue forest no objection certificate. In compliance with the order dated 24.10.2024 passed in OA No. 135/2024 letter number-2116/Mineral/2024-25 dated 05.11.2024, was issued for clarification of the situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, as such the Divisional Director, Social Forestry Division,



*[Handwritten signature]*

Prayagraj by letter number-1447/15-1 dated 09.11.2024, has stated the said ordinary sand block number-30 to be outside the boundary (10 km) of the Eco Sensitive Zone of Turtle Wildlife Sanctuary.

In continuation of the order dated 24.10.2024 passed in the OA No. 135/2024 in question the Regional Officer, UP Pollution Control Board, Prayagraj, by letter No. G01101/OA No. 135/2024/2023-24 dated 05.11.2024, request was made to provide details of the period of operation of sand mining lease, the total quantity of sand mined during the operational period (working days), mining area and departmental action taken against the lessee etc. in respect of ordinary sand block number-30A. In continuation of the said letter, the desired report was made available to Pollution Control Board by letter No. 2161/ Mineral /2024-25 dated 08.11.2024 of the Mining Department, Prayagraj. On the basis of the above, the mining lease was operated for a total of 546 days from 01.01.2022 to 31.12.2023 (except July, August and September in rainy season) in favour of M/s Maheep Construction Pro. Shri Maheep Singh son of late Shesh Pratap Singh resident of Vishenpura, P.O. Gahariya, Uruwa, Tehsil Meja, Prayagraj for sand mining in ordinary sand block number-30 village Paranipur, Tehsil Meja, Handia, Prayagraj area 5.00 hectare of river Ganga. During the said period, consent from the State Board was not issued to the project proponent. Due to the said project proponent operating the sand mining lease without obtaining consent (water and air) from the State Pollution Control Board, by letter number-H 19629/C-2/N of the Chief Environment (Circle-2), Board Headquarters, Lucknow show cause notice was issued for imposing environmental compensation (EC) of total amount of Rs 54,60,000.00 (Rupees Fifty




Four Lakh Sixty Thousand Only) by letter No. H 19629/C-2 NGT No. 627/24 dated 11.11.2024. True copy of letter No. G01101/OA No. 135/2024/2023-24 dated 05.11.2024 of Regional Officer, UP Pollution Control Board, Prayagraj is annexed herewith and marked as is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-9**

True copy of show cause notice dated\_11.11.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-10** (Pg. No. to )

Hence, on the basis of the report submitted by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, dated 09.11.2024, the said section number-30 is outside the eco-sensitive zone of Turtle Wildlife Sanctuary. Hence, the said section number-30 is not covered by OA number-135/2024 Khushboo Singh vs. State of Uttar Pradesh and others.


9. That in the ordinary sand mining area mentioned at serial number 03 of the above table, Tehsil Meja / Handia, Village Paranipur Block No.-31, Area-5.00 Hectare, for which Forest No Objection Certificate was issued by the Forest Department on 06.09.2019, the mining lease from 05.01.2022 to 04.01.2027 was approved / executed in favor of Mrs. Shakuntala, wife of Sri. Punjab Singh, resident of Village Vishenpura, PO Dohariya, Tehsil Meja, Prayagraj. In the process of preparing the new District Survey Report 2024, the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, letter No. 436/15-1 dated 08.08.2024 did not issue forest clearance certificate for the said ordinary sand mining area as it fell within the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of Turtle Wildlife Sanctuary, on the basis of which the mining lease was cancelled by order No. 1692/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024. True copy of letter dated



22.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-11**  
(Pg. No. to )

10. That due to cancellation of the said mining lease, the conditional consent dated 20.05.2023 issued by the State Board to the said project proponent has been rendered ineffective till further orders by the Chief Environmental Officer's letter No. H 16248/C-2/NGT-71/2024 dated 27.08.2024. True copy of letter dated 27.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-12** (Pg. No. to )

11. That regarding the said ordinary sand block number 31, in the sequence of letter number-436/15-1 dated 08.08.2024 of Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, in which the said block was stated to be in the Turtle Wildlife Sanctuary Zone, in which the said block was said to fall in the Turtle Wildlife Sanctuary Zone, in the sequence of the endorsement letter number-4054 dated 02.09.2024 of the then District Magistrate, Prayagraj on the application dated 02.09.2024 submitted by the lessee Mrs. Shakuntala Devi wife of Mr. Punjab Singh resident of village Paranipur, Meja, Prayagraj the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj by Letter No. 917/15-1 dated 24.09.2024 has given following report and No Objection Certificate was issued for the said plot as Block No. 31 because of being outside the Eco Sensitive Zone (10 km) of Turtle Sanctuary. True copy of letter dated 24.09.2024 of Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-13**  
(Pg. No. to )




"In the course of the referenced application and the endorsement thereon by the District Magistrate, Prayagraj, the area of 5.00 hectare of plot no. 1 61A, block no. 31 of the Ganga river in village Paranipur Kachhar situated in Tehsil Meja of district Prayagraj, whose details are as follows, was again examined through Google Earth.

SI No.	Tehsil	VIII.	Property/ Plot No.	Block No.	Rakba (in hec.)	Jlocordinate		
						latitude		Longitude
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meja	Paranipur Kachhar	1.61Ka	31	5.00	12.35	A 25° 18' 42.90 N	82 10:09.18 E
							B 25° 18' 49.22 N	82° 10'09,84 E
							C 25 18 49.21 N °	82° 10'00,65 E
							D 25 18 42.84 N °	82 10 03.06 E


According to the current Google imagery dated 24.09.2024, the nearest point A of block no. 31 to Kachua Sanctuary is (25° 18' 42.90 N 82° 10'12.18' E). As the boundary of the Ganga river bank (Turtle Sanctuary) is outside the eco-sensitive zone (10 km) from the circumference of the circle drawn in 10 km radius with point A as the center, the No Objection Certificate for the said plot is given under the following conditions-

In compliance with the order dated 24.10.2024 passed in the OA No. 135/2024 in question, by letter No.-2116/Mineral/2024-25 dated 05.11.2024, in order to clarify the situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, by letter No.-1447/15-1 dated 09.11.2024, the said ordinary sand block number-31 has been stated outside the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj.



*[Handwritten signature]*

12. That on the basis of the Forest No Objection Certificate submitted by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, dated 24.09.2024, the said block number-31 is outside the eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary. Therefore, the said block number-31 is not covered by OA number-135/2024 Khushboo Singh vs. State of Uttar Pradesh and others.
13. That ordinary sand mining area mentioned at serial number 4 of the above table, Tehsil Meja, Village Paranipur Block No.-32, area 5.00 hectare, for which Forest No Objection Certificate dated 06.09.2019 was issued by the Forest Department, for settling on mining exemption, advertisement was published under the provisions of UP Sub-Mineral (Exemption) Rules-2021, on the basis of the highest bid received, a letter of intent was issued in favour of M/s Singh Construction Pro. Shri Dheeraj Singh son of Shri Kamalakar Singh resident of Village and Post Ghurpur, Tehsil Bara, Prayagraj vide letter number-1542/ Mineral /2022-23 dated 09.09.2022.
14. That in the course of preparing the new District Survey Report 2024, for the said ordinary sand block number-32, forest clearance certificate was not given by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, letter number-436/15-1 dated 08.08.2024 as it falls within the boundary (10 km) of the Eco-sensitive Zone of Kachhua Wildlife Sanctuary, on the basis of which the mining lease was cancelled by order number-1690/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024 and in compliance with the order dated 24.10.2024 passed in the OA No. 135/2024 in question, letter number-2116/Mineral/2024-25 dated 05.11.2024 was sent by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, in order to clarify the




12

situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj. No. 1447/15-1 dated 09.11.2024, the said ordinary sand block number-32 has been stated to be within the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary.

Hence, in the said ordinary sand block number-32, only the action of issuing letter of intent has been taken, which has been canceled by order dated 22.08.2024. Thus, no mining operation has been done in the said block.

15. That ordinary sand mining area mentioned at serial number-5 of the above table, Tehsil Meja Village Paranipur Block No.-33, Area-5.00 Hectare, for which Forest No Objection Certificate dated 06.09.2019 was issued by the Forest Department, for settling on mining exemption, was advertised under the provisions of UP Sub Mineral (Exemption) Rules-2021, on the basis of the highest bid received, a letter of intent was issued in favour of M/s Gayatri Construction Pro Mrs. Gayatri Singh resident Phase-2 Soyepur, Pandeypur, Varanasi by letter number-2514/ Mineral / 2023-24 dated 25.01.2024.

In the course of preparing the new District Survey Report 2024, for the said ordinary sand block number-33, forest clearance certificate was not given by the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj, letter number-436/15-1 dated 08.08.2024 as it fell within the boundary (10 km) of the Eco-sensitive Zone of Kachhua Wildlife Sanctuary, on the basis of which the mining lease was cancelled by order number-1691/Mineral/2024-25 dated 22.08.2024 and in compliance with the order dated 24.10.2024 passed in the OA No.-135/2024, in question letter number-2116/Mineral/2024-25 dated 05.11.2024 was issued by the




A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj in order to clarify the situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj. No. 1447/15-1 dated 09.11.2024, the said ordinary sand block number-33 has been stated to be within the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary.

Hence, in the said ordinary sand block number-33, only the action of issuing letter of intent has been taken, which has been canceled by order dated 22.08.2024. Thus, no mining operation has been done in the said block.

16. That ordinary sand mining area marked at serial number 6 of the above table, Tehsil Meja, Village Bhuipara Block No. 34, area 5.00 hectare, for which Forest No Objection Certificate dated 06.09.2019 was issued by the Forest Department, for settling on mining exemption, advertisement was published under the provisions of UP Sub Mineral (Exemption) Rules-2021, and on the basis of the highest bid received, a letter of intent was issued in favour of Shri Arun Kumar Singh son of Shri Dharmendra Pratap Singh resident of Village Manda Khas Tappa Manda, Tehsil Meja, Prayagraj by letter number-1543/ Mineral / 2022-23 dated 09.09.2022. Due to violation of Rule-35 of UP Sub Mineral (Prevention) Rules-2021 by the highest bidder, the said letter of intent dated 09.09.2022 has been cancelled by order No. 508/ Mineral /2023-24 dated 29.05.2023 under Rule-60 (1), and the total amount of Rs. 30,60,000.00 deposited as first installment and security for the said mining area has been forfeited in favor of the State Government and in compliance with the order dated 24.10.2024 passed in the OA No.




*[Handwritten signature]*

135/2024 in question, in order to clarify the situation from the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj by letter No. 2116/ Mineral / 2024-25 dated 05. 11.2024, the Divisional Director, Social Forestry Division, Prayagraj has issued letter No. 1447/15-1 dated By 09.11.2024, the said ordinary sand block number-34 has been declared to be within the boundary (10 km) of the eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary. Due to the cancellation of the said letter of intent, the conditional consent dated 30.06.2023 issued by State Board has been made ineffective till further orders by letter no.-H 16249/C-2/NGT-72/2024 dated 27.08.2024 of Chief Environmental officer.

Hence, the proceeding of issuing only letter of intent in the said ordinary sand block number-34 has ben done which has been canceled by order dated 29.05.2023. Thus no mining operation has been done in the said section.

17. That in para 14 of order dated 24.10.2024 passed in OA No.-135/2024 Khushboo Singh Vs. State of U.P. and others, the respondent No. 6 in which Shri Arun Kumar Singh son of Dharmendra Pratap Singh is mentioned in the above mentioned name, which is wrongly mentioned, which is later mentioned as opposite party number 9.

It is clear from the above mentioned facts that ordinary sand blocks number 29, 30 and 31 of Prayagraj district mentioned in serial number 1, 2 and 3 of the above mentioned table are outside the boundary of turtle Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone. Only the process of issuing letter of intent was done for the mining areas of



*[Handwritten signature]*

sand block number-32, 33 and 34 mentioned in table number 4, 5 and 6, in which mining lease has not been executed and no mining operation of any kind has been done in the said blocks. Hence, no mining operation of any kind is being conducted in the foothills of river Ganga within the boundary of eco-sensitive zone of Kachhua Wildlife Sanctuary in district Prayagraj.

18. It is further humbly submitted that apart from above the answering respondent is duty bound to follow all directions issued by this Hon'ble Tribunal in the matter in its letter and spirit.
19. That the facts stated in the above reply are based on the information derived from official record as such they true and correct as per personal knowledge and belief of the deponent. No part of same is false and nothing material has been concealed therefrom.

Respondent No.03

Through Counsel

(MURESH VERMA)

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.03


Ch. No.50, Old Block

Supreme Court of India

New Delhi-110001

(M) 9810108098

E-mail: [mvermadv@gmail.com](mailto:mvermadv@gmail.com)



18-11-24



1381  
20/12/2023~~रिजिस्ट्रार प्रकाशक~~~~1000000000~~

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज। Annexure

पत्रांक- 2018/15-1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 14, 2023। -R-1

रोवा में,

जिलाधिकारी,  
प्रयागराज, मिर्जापुर एवं भदोही।

कृते प्रिजाधिकारी

प्रयागराज

कलेक्टर, प्रयागराज  
काक प्रो. दिनांक 3298  
दिनांक 16/12/23

विषय:- जनपद-प्रयागराज, भदोही एवं मिर्जापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी तक फैले क्षेत्र जिसे उ०प्र० शासन की अधिसूचना रा०-346/81-4-2020-823/2008 टी०सी०, दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे गत्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 का पत्रांक-502/81-4-2020, दिनांक 23.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी प्रतिलिपि है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जोसा कि अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 रा०-346/81-4-2020-823/2008 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 17.03.2020 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1927 की धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन श्री राज्य पाल महोदय द्वारा जनपद-भदोही, प्रयागराज एवं मिर्जापुर के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी० लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित करने का घोषणा की गयी है।

अनुसूची

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्यजीव विहार का क्षेत्र
1	2	3
प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमावद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा का 30 किमी० लम्बाई में फैला क्षेत्र
सीमाएं	पूरव (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम-बारापुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला-भदोही की राजस्व सीमा में- अक्षांश- 25.273769 देशान्तर- 82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, मेजा, जिला-प्रयागराज की राजस्व सीमा में- अक्षांश- 25.215000 देशान्तर- 82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

Smr/Sdms/ya  
3/12/23  
सुपरिन्डेंट

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किमी० लम्बाई में जनपद-प्रयागराज के तहसील-मेजा, जनपद-भदोही के तहसील-ज्ञानपुर व जनपद-मिर्जापुर के तहसील-सदर अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्रामों की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती हैं, जिसका विवरण निम्न

प्रकार दिनांक 14/12/23

जनपद प्रयागराज- इस जनपद के तहसील-मेजा के विभिन्न ग्रामों-कोठरी, अछोला, चौकठा नरवर, चौकठा उपरहार, कुशमा उपरहार, बगनी हेटार, बेरुका, उगापुर, डेगुरपुर, महेवाखुर्द, महेवाकला, बादपुर कछार, बादपुर उपरहार, वामपुर कछार एवं वामपुर उपरहार की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती हैं।

जनपद मिर्जापुर- इस जनपद के तहसील-सदर के विभिन्न ग्रामों-मिश्रपुर, नगवारी, वसेवरा कला, खैरा, गोगाँव, बेहरा, देवाशी गुगोरा, कारी सरपाती, गौरपुर रातलपत्ती, वसेवरा खुर्द, बजता, अर्जीखेरा, चकचेहरा एवं चककौन की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती हैं।

जनपद भदोही- इस जनपद के तहसील-ज्ञानपुर के विभिन्न ग्रामों-बहुपुश उपरवार, धकत उपरवार एन यारीपुर, बारीपुरु उपरवार, भूरी उपरवार, चकिया उपरवार, छेछुआ उपरवार, हरिरामपुर उपरवार, पुरेदुखा, इतहरा उपरवार, कलिक गवैया उपरवार, कुण्डीकला उपरवार, कुण्डी खुर्द उपरवार, लखनपुर भद्रशन उपरवार, मरहाच उपरवार, गवैयावारा गांती उपरवार, गवैयात बरिंग उपरवार, नारेपर उपरवार, शेरपुर उपरवार, तरही उपरवार, तुलसी कला उपरवार, छेछुतारी, वनकरतारी एवं यारीपुर, गगौरी तारी, गुरीतारी, इतहरा तारी, कलिक गवैया तारी, कुण्डी कला तारी, कुण्डी खुर्द तारी, लखनपुर गदरी तारी, गवैया थान सिंह तारी, सझरा तारी एवं हरिरामपुर तारी की सीमायें गंगा नदी की सीमा से मिलती हैं।

10/11/23  
12/11/23  
13/11/23  
14/11/23  
15/11/23  
16/11/23  
17/11/23  
18/11/23  
19/11/23  
20/11/23  
21/11/23  
22/11/23  
23/11/23  
24/11/23  
25/11/23  
26/11/23  
27/11/23  
28/11/23  
29/11/23  
30/11/23  
05/12/23

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशानुसार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-18-बी के तहत जिलाधिकारी, प्रयागराज, गिर्जापुर तथा भदोही को सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र हेतु कलेक्टर एवं उक्त वन्य जीव विहार को प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन रखने पर श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं०-202/1995 (रिट पिटीशन सिविल) टी०एन० मोडगर्जन गिरूमलकपाद वनाग यूनिजन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक-03.06.2022 के विन्दु सं०-44 (सी) में दिनांक-09.02.2011 के राष्ट्रपतिज्ञापन के सम्यक अनुपालन एवं उक्त आदेश दिनांक 03.06.2022 के विन्दु सं० 44 (डी) में नेशनल पार्क व वन्य जीव सेन्सुशी में खनन कार्य को प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश के क्रम में वन्य जीव विहार, प्रयागराज की सीमा से बाहर कम से कम 1 किमी की दूरी तक के क्षेत्र को ईको सेन्सिटिव जोन बनाया जाना है जो प्रक्रिया में है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ईको सेन्सिटिव जोन का निर्धारण न होने की दशा में 10 किमी की परिधि को ईको सेन्सिटिव जोन माना जायेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में अनुरोध है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश व सन्दर्भित शासनादेश के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आकर 30 किमी लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किमी तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाये तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि नव स्थापित कछुआ वन्य जीव विहार में वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न होने पाए।

(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या \_\_\_\_\_ / समदिनांक।

1. प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ०प्र०, प्रयागराज/मंडलीय मुख्य वन संरक्षक, गिर्जापुर क्षेत्र, गिर्जापुर।
2. प्रतिलिपि:- मंडलायुक्त प्रयागराज एवं गिर्जापुर।
3. प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।
4. प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही एवं गिर्जापुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने जनपद अन्तर्गत गंगा नदी एवं आरा-पास के क्षेत्र में खनन अनापत्ति देने से पूर्व वन्य-जीव विहार एवं 10 किमी ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें एवं किसी तरह का उल्लंघन न हो तथा पुराना कोई नदी में बालू खनन पट्टे प्रचलित हों तो उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को ध्यानाकर्षित कर विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. प्रतिलिपि:- जिला खनन अधिकारी, प्रयागराज, गिर्जापुर एवं भदोही को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी एवं आरा-पास के क्षेत्र में बालू खनन पट्टा देने से पूर्व कछुआ वन्य जीव विहार एवं 10 किमी का ईको सेन्सिटिव जोन के प्रविधानों का ध्यान में रखें जिरारो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का किसी तरह का उल्लंघन न हो।

(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

~~रखी जायेगी~~

Annexure R-2

## कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 2379/खनिज/2023-24

दिनांक: 06/01/2024

1. खान निरीक्षक, प्रयागराज।
2. सर्वेक्षक, क्षेत्र 0का0, प्रयागराज।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या-2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा जनपद प्रयागराज, भदोही एवं भीरजापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र जिसे उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-346/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थनीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र की निम्न सूची उपलब्ध कराते हुये, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व सन्दर्भित शासनादेशों के क्रम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आवद्ध 30 किलो मीटर लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किलो मीटर तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है:-

जिला	नदी का नाम	कछुआ वन्य जीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, भदोही और भीरजापुर सीमाएँ	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमाबद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा को 30 किमी0 लम्बाई में फैला क्षेत्र
	पूरव (नदी का अधो- प्रवाह)	ग्राम वारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, जिला भदोही की राजस्व सीमा में:- अक्षांश-25.273769, देशान्तर-82.287486
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-कोठरी, मेजा, जिला प्रयागराज की राजस्व सीमा में अक्षांश-25.215000, देशान्तर-82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच कर वांछित सुस्पष्ट जाँच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अजय कुमार यादव)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या-2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 के सन्दर्भ में।

(अजय कुमार यादव)  
ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

01/01/2024

~~संयोजित प्रस्ताव~~ - 3

Annexure - R-3

जॉच आख्या


सोसा में,  
ज्येष्ठ खान अधिवक्त्री,  
प्रयागराज।  
महोदय,

कृपया आगत कराना है कि आपके पत्र सं०-2399/खनिज/2023-24 दिनांक 06.01.2024 द्वारा उल्लिखित है कि प्रयागीय निदेशक, सामाजिक नागिकी प्रयाग, प्रयागराज के पत्र संख्या-2018/15-1 दिनांक 14.12.2023 द्वारा जनपद प्रयागराज, गढ़ोही एवं गीरजापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आवक 30 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र जिनको शासन की अधिरचना संख्या-345/81-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, में बालू खनन, पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र की निम्न सूची उपलब्ध कराते हुये, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व सन्दर्भित शासनादेशों के त्राम में उक्त वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आवक 30 किलो मीटर लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 किलो मीटर तक (ईको सेन्सिटिव जोन) में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है:-

जिला	का नाम	कछुआ वन्य जीव विहार का क्षेत्र
प्रयागराज, गढ़ोही और गीरजापुर सीमाएं	गंगा	गंगा नदी के दोनों तटों से सीमावद्ध गंगा नदी के मुख्य धारा को 30 किमी० लम्बाई में फैला क्षेत्र
	पूरव (नदी का अधोः प्रवाह)	ग्राम वारीपुर उपरहार, ज्ञानपुर, <del>...</del> सीमा में:- अक्षांश-25.273769, देशान्तर-82.287426
	पश्चिम (नदी का उर्ध्व प्रवाह)	ग्राम-काठरी, मजा, जिला प्रयागराज की राजस्व सीमा में अक्षांश-25.215000, देशान्तर-82.194814
	उत्तर	गंगा नदी का उत्तरी तट
	दक्षिण	गंगा नदी का दक्षिणी तट

उक्त स्थिति की जॉच दिनांक 11.01.2024 को की गयी। वर्तमान समय में गंगा नदी में निम्न खनन पट्टे संचालित एवं प्रस्तावित हैं:-

क्र० सं०	ग्राम	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	अक्षांश	देशान्तर	क्षेत्रफल (कि०मी० में)
1.	मटला व पनारा व डाकरी व चंकरान	27	5.00	A 25° 16' 62.2" N B 25° 16' 72.8" N C 25° 16' 80.8" N D 25° 16' 70.5" N	82° 05' 19.6" E 82° 05' 29.8" E 82° 05' 20.8" E 82° 05' 10.9" E	12.90
2.	परानीपुर-II (बाबा स्थित शिव मंदिर से हाई टेशन लाइन के टावर तक) व अगिलीटी	30	5.00	A 25° 18' 43.3" N B 25° 10' 54.0" N C 25° 10' 62.4" N D 25° 18' 51.9" N	82° 09' 34.9" E 82° 09' 31.0" E 82° 09' 43.8" E 82° 09' 47.1" E	11.00
3.	परानीपुर-III हाई टेशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाई टेशन लाइन के टावर तक व फंदला मीया)	31	5.00	A 25° 18' 71.5" N B 25° 18' 82.3" N C 25° 18' 82.2" N D 25° 18' 71.4" N	82° 10' 20.3" E 82° 10' 16.3" E 82° 10' 01.0" E 82° 10' 05.1" E	11.00
4.	परानीपुर-V (परानीपुर मुख्य मार्ग से सीमा ग्राम भुईधारा तक) व लक्षागृह	33	5.00	A 25° 18' 31.5" N B 25° 18' 41.16" N C 25° 18' 44.4" N D 25° 18' 37.5" N	82° 11' 9.96" E 82° 11' 10.5" E 82° 11' 2.1" E 82° 11' 1.38" E	10.50
5.	गवथा लदायन से भौंदी तक व गदकर	23	4.00	A 25° 22' 44.1" N B 25° 22' 52.5" N C 25° 22' 55.0" N D 25° 22' 47.7" N	81° 54' 42.3" E 81° 54' 54.48" E 81° 54' 52.2" E 81° 54' 40.62" E	33.50
6.	समरटा से रामपुर व सोलापुर से राधवाज	20	5.00	A 25° 20' 13.0" N B 25° 20' 19.56" N C 25° 20' 15.38" N D 25° 20' 11.1" N	82° 01' 41.94" E 82° 01' 38.04" E 82° 01' 30.36" E 82° 01' 34.2" E	21.50





7.	गंगा-टोन्ना नदी के संगम से पकरी सेवार तक एवं उसमानपुर से बढौली (बहारपुर)	28	5.00	A	25°16'37.32" N	82°05'11.78" E	12.50
				B	25°16'43.68" N	82°05'17.88" E	
				C	25°16'38.88" N	82°05'22.68" E	
				D	25°16'32.58" N	82°05'16.68" E	
8.	परानीपुर-I (ग्राम पकरी सेवार की सीमा से ग्राम परानीपुर में बारा स्थित शिवमन्दिर तक) व मवेया से राका	29	5.00	A	25°18'25.98" N	82°09'20.94" E	10.90
				B	25°18'32.4" N	82°09'18.6" E	
				C	25°18'27.84" N	82°09'11.16" E	
				D	25°18'21.48" N	82°09'13.38" E	
9.	ककरा से डौहा व ककरा से जमुनापुर	25	4.00	A	25°19'4.2" N	81°58'46.2" E	24.40
				B	25°19'10.74" N	81°58'45.48" E	
				C	25°19'10.98" N	81°58'52.86" E	
				D	25°19'4.32" N	81°58'53.46" E	
10.	मुड़पारा, तन्दरिया व गाडरी	34	5.00	A	25°18'34.5" N	82°11'9.56" E	10.40
				B	25°18'41.16" N	82°11'10.5" E	
				C	25°18'38.88" N	82°11'19.26" E	
				D	25°18'32.1" N	82°11'18.96" E	

वन विभाग द्वारा दिये गये कछुआ सेन्चुरी के किनारों के निर्देशांकों के आधार पर उपरोक्त पट्टों की दूरी का मिलान किया गया, पाया गया कि जनपद प्रयागराज स्थित गंगा नदी तल क्षेत्र में स्वीकृत एवं प्रस्तावित साधारण वालू के समी खनन क्षेत्र कछुआ सेन्चुरी की प्रयागराज स्थित सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

संलग्नक—गूगल मैप का मानचित्र।

उपरोक्तानुसार जाँच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

  
 अवेक्षक  
 क्षेत्रीय कार्यालय  
 प्रयागराज।

  
 खान निरीक्षक  
 प्रयागराज।

~~पर्यावरण विभाग~~

**कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज**

Annexure R-4

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 2984/खनिज/2023-24

दिनांक: 11/03/2024

**आदेश**

निदेशक/सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 14.12.2023, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2023 तथा Civil Appeal Nos. 3661-3662 of 2020 titled State of Bihar Vs. Pawan Kumar में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुपालन में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) के सम्यन्ध में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ के पत्र सं0-1665/एम0-228/खनन नीति-2017 डी0एस0आर0 दिनांक 15.12.2023 एवं पत्र सं0-2182/एम0-228/खनन नीति-2017 डी0एस0आर0 दिनांक 12.02.2024 द्वारा संयुक्त समिति SEAC व SEIAA द्वारा तैयार की गयी Standard Operating Procedure (SOP) की प्रति संलग्न कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तावों को उक्त SOP के अनुसार तैयार कर SEAC के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। SOP के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु सर्वप्रथम Sub-Divisional Committee (SDC) का गठन किया जाना है।

अतः जनपद प्रयागराज में उपलब्ध उपखनिज यथा साधारण बालू, सैंड स्टोन (ईमारती पत्थर) तथा सिलिका सैंड के खनन क्षेत्रों के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु निम्न Sub-Divisional Committee (SDC) का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, मेजा, बारा, करछना, हण्डिया, सोरांव, कोरांव व फूलपुर, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज द्वारा नामित वन क्षेत्राधिकारी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
5. खान निरीक्षक, प्रयागराज।
6. सर्वेक्षक/मानचित्रकार क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

Sub-Divisional Committee (SDC) द्वारा अपने तहसील से सम्यन्धित उपखनिज के खनन क्षेत्रों की SOP के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कराकर 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(नवनीत सिंह चहल)  
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. उपजिलाधिकारी, सदर, मेजा, बारा, करछना, हण्डिया, सोरांव, कोरांव व फूलपुर, प्रयागराज।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रयागराज।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
9. खान निरीक्षक, प्रयागराज।
10. सर्वेक्षक/मानचित्रकार क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

(नवनीत सिंह चहल)  
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

%  
21/3/2024

~~संख्या- 1298/खनिज/2024-25~~

Annexure

255  
R-5

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- 436 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, अगस्त, 08, 2024।

शेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

विषय:- जनपद-प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गाटा सं0-2क के खण्ड सं0-29 के क्षेत्र 5 हे0, गाटा सं0-2क, 45 के खण्ड सं0-30 के क्षेत्र 5 हे0, गाटा सं0-1, 61क के खण्ड सं0-31 के क्षेत्र 5 हे0 व खण्ड सं0-32 के क्षेत्र 5 हे0 में बालू के खनन पट्टा हेतु अनापत्ति आख्या के सम्वन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1298/खनिज/2024-25, दिनांक-15.07.2024

अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जनपद-प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गाटा सं0-2क के खण्ड सं0-29, गाटा सं0-2क, 45 के खण्ड सं0-30, गाटा सं0-1, 61क के खण्ड सं0-31 व 32 का आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये latitude & Longitude के अनुसार उक्त खनन क्षेत्र कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सैन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि के अन्दर आता है।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सैन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

संख्या- /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 2- उप जिलाधिकारी, मेजा।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज।
- 4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मेजा।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

25/8

खण्ड वकालत

Annexure - 2-6

254

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।  
पत्रांक- /15-1 दिनांक, प्रयागराज, अगस्त, 09, 2024।

सेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

विषय:- जनपद-प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-भुईपारा कछार के गाटा सं०-1 के खण्ड सं०-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड 34 के 33 (क्षे० 5 हे०) में बालू के खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1298/खनिज/2024-25, दिनांक-15.07.2024

अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से जनपद-प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-भुईपारा कछार के गाटा सं०-1 के खण्ड सं०-33 व 34 का आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये latitude & Longitude के अनुसार उक्त खनन क्षेत्र कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर आता है।

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

संख्या- 445 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 2- उप जिलाधिकारी, मेजा।
- 3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज।
- 4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मेजा।

No 2234/5-1/50044

ज्येष्ठ खान अधिकारी  
प्रयागराज

कृपया नि० द्रा० कार्य० कराने

का कलक करें।

608

SDM(LM)  
16/8/24

Sri Datta

17.08.24  
500

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

~~संज्ञा~~

Annexure R-7

प्रेषक,  
ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

सेवा में,  
प्रगागीय निदेशक  
सागाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

पत्रांक: 2116 / खनिज/2024-25

दिनांक: 05/11/2024

विषय-मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-135/2024 खुशू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 के अनुपालन के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयगत प्रकरण के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-135/2024 खुशू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

22. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB and SEIAA, UP to explain as to how and is what circumstances, consent and clearances were issued for permitting mining activities in prohibited areas and that too in violation of directions issued by Supreme Court. Similar reply shall also be submitted by concerned District Magistrates, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), Mirzapur and Prayagraj.

23. If no valid justification is submitted, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, SEIAA, District Magistrate, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), District Magistrate, Mirzapur and District Magistrate, Prayagraj shall remain present before Tribunal on the next date.

24. List for further consideration on 20.11.2024.

इस सम्वन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज, भदोही एवं मिरजापुर अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आपद्ध 30 कि0मी0 तक फैले क्षेत्र जिसे उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-346/61-4-2020-823/2008 टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, में बालू खनन पट्टाधारकों द्वारा बालू खनन व नाविकों/स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे मत्स्य शिकार को प्रतिबन्धित किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या-2018/15-1 दिनांक 14.12.2023(संलग्नक-1) द्वारा जनपद प्रयागराज के चिन्हित प्राणों तथा कछुआ वन्य जीव विहार क्षेत्र को स्पष्ट करते हुये वन्य जीव विहार में कछुओं व अन्य जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा नदी के दोनों तटों से आपद्ध 30कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र में व इसकी सीमा से बाहर कम से कम 10 कि0मी0 तक में बालू खनन हेतु कोई नवीन खनन पट्टा स्वीकृत न किये जाने तथा पूर्व स्वीकृत बालू खनन पट्टा को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में वन विभाग के उपरोक्त पत्र दिनांक 14.12.2023 के क्रम में पत्र संख्या-2399/खनिज/2023-24 दिनांक 06.01.2024(संलग्नक-2) द्वारा खान निरीक्षक, प्रयागराज तथा सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज से प्रकरण में स्थलीय जांच कर सुस्पष्ट जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश के अनुपालन में जांच टीम द्वारा गंगा नदी के 10 साधारण बालू खण्डों का निरीक्षण कर, जांच आख्या दिनांक 12.01.2024 (संलग्नक-3) प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "वन विभाग द्वारा दिये गये कछुआ रोन्चुरी के फिनारों के निर्देशों के आधार पर उपरोक्त पट्टों की दूरी का गिलान किया गया, पाया गया कि जनपद प्रयागराज स्थित गंगा नदी तल क्षेत्र में स्वीकृत एवं प्रस्तावित साधारण बालू के प्राणी खनन क्षेत्र कछुआ रोन्चुरी की प्रयागराज स्थित सीमा से 10 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।"

७

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2021 के अनुपालन में जनपद प्रयागराज में उक्त खनिज के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु आदेश संख्या-2984/खनिज/2023-24 दिनांक 11.03.2024 (संलग्नक-4) द्वारा गठित एस0डी0सी0 समिति, जिसमें वन विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, द्वारा प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गाटा सं0-2क के खण्ड सं0-29, गाटा सं0-2क, 45 के खण्ड सं0-30, गाटा सं0-1, 61क के खण्ड सं0-31 व 32 तथा ग्राम भूईपारा कछार के गाटा सं0-1 के खण्ड सं0-33 व 34 के क्षेत्रफल 5.00हे0 के सम्यन्ध में प्रस्तुत जाँच आख्या दिनांक 07.06.2024 (संलग्नक-5) में उक्त साधारण बालू के खनन क्षेत्र को कछुआ सेचुरी हेतु चिह्नित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं पाया गया है।

उक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या-436/15-1 दिनांक 08.08.2024(संलग्नक-5) द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29, गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30, गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 व 32 तथा पत्र संख्या-445/15-1 दिनांक 09.08.2024(संलग्नक-6) द्वारा तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भूईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 व 34 को कछुआ वन्य जीव विहार के इको सेंसिटिव जोन की सीमा (10 किमी0) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया। तत्क्रम में जिन क्षेत्रों हेतु वन अनापत्ति नहीं दी गयी, उन्हें निरस्त कर दिया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम				पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण पत्र का दिनांक	पट्टा अवधि	अन्युचित
	तहसील	ग्राम	खण्ड सं0	रकबा (हे0)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	29	5.00	06.09.2019	20.11.2018 से 28.11.2023	आदेश सं0-1175/खनिज/ई-नोलाभा बालू /2019-20 दिनांक 19.10.2019 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
2.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	30	5.00	06.09.2019	06.01.2021 से 05.01.2026	आदेश सं0-1281/खनिज/2023-24 दिनांक 11.07.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
3.	मेजा/ हण्डिया	परानीपुर	31	5.00	06.09.2019	05.01.2022 से 04.01.2027	आदेश सं0-1692/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
4.	मेजा	परानीपुर	32	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आराम्य पत्र सं0-1542/खनिज/2022-23, दिनांक 09.09. 2022 को आदेश सं0-1690/ खनिज/ 2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
5.	मेजा	परानीपुर	33	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आराम्य पत्र सं0-2514/ खनिज/2023-24, दिनांक 25.01. 2024 को आदेश सं0-1691/खनिज / 2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
6.	मेजा	भूईपारा	34	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आराम्य पत्र सं0-1545/खनिज/2022-23, दिनांक 09.09. 2022 को आदेश सं0-509/खनिज / 2023-24 दिनांक 29.05.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में आपके पत्र संख्या-917/15-1 दिनांक 24.09.2024(संलग्नक-7) द्वारा उपरोक्त तालिका के क्रमांक 03 पर अंकित ग्राम परानीपुर के खण्ड संख्या-31 को कछुआ वन्य जीव विहार के इको सेंसिटिव जोन की सीमा (10 किमी0) की परिधि के बाहर यताते हुए पुनः वन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि खण्ड सं0-31 नदी की upstream (जनपद प्रयागराज की ओर) खण्ड सं0-29 व 30 स्थित है। इस प्रकार आप द्वारा खण्ड सं0-31 हेतु प्रदत्त उपरोक्त वन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.09.2024 के आधार पर खण्ड सं0-29 व 30 भी इको सेंसिटिव जोन की सीमा के बाहर होंगे।

७



~~संलग्नक-1~~

Annexure - 8

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।  
पत्रांक- 1447 / 15-1 दिनांक, प्रयागराज, 9, नवम्बर, 2024।

सेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

विषय- गा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.10.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ- आपका पत्रांक-2116/खनिज/2024-25, दिनांक-05.11.2024

उपर्युक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-प्रयागराज के तहसील-मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गंगा नदी के गाटा सं0-2क के खण्ड सं0-29, गाटा सं0-2क, 45 के खण्ड सं0-30, गाटा सं0-1, 61क के खण्ड सं0-32 तथा ग्राम- भुईपारा कछार के गंगा नदी के गाटा सं0-1 के खण्ड सं0-33 एवं 34 कुल 05 खण्डों में वन अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है कि क्या उक्त सभी खण्ड वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा (10 किमी0) की परिधि में आते हैं अथवा नहीं ?

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त सभी 05 खण्डों की जांच पुनः गूगल अर्थ के माध्यम से की गई। वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक-06.11.2024 के अनुसार जांच आख्या निम्नवत है-

क्रम सं0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	खण्ड सं0	क्षेत्रफल (हे0 मे)	खनन हेतु आवेदित क्षेत्र का भू-निर्देशांक		वर्तमान गूगल अर्थ इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार आवेदित क्षेत्र की कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन की सीमा (10 किमी0) से स्थिति	अभ्युक्ति	
					आक्षांश	देशान्तर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	परानीपुर कछार	2क	29	5.00	A	25° 18' 25.98" N	82° 09' 20.94" E	वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार खण्ड सं0-29 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु D (25° 18' 21.48" N 82° 09' 13.38" E) को केन्द्र मानकर 10 किमी0 त्रिज्या (radius) का खींचा गया वृत्त कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) से बाहर है (संलग्नक-1)।	
					B	25° 18' 32.40" N	82° 09' 18.60" E		
					C	25° 18' 27.84" N	82° 09' 11.16" E		
					D	25° 18' 21.48" N	82° 09' 13.38" E		
2.		2क, 45	30	5.00	A	25° 18' 25.98" N	82° 09' 20.94" E	वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार खण्ड सं0-30 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु- A (25° 18' 25.98" N 82° 09' 20.94" E) को केन्द्र मानकर 10 किमी0 त्रिज्या (radius) का खींचा गया वृत्त कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) से बाहर है (संलग्नक-2)।	
					B	25° 18' 32.40" N	82° 09' 18.60" E		
					C	25° 18' 37.44" N	82° 09' 26.28" E		
					D	25° 18' 31.14" N	82° 09' 28.26" E		
3.		01, 61क	32	5.00	A	25° 18' 42.90" N	82° 10' 12.18" E	वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार खण्ड सं0-32 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु- D (25° 18' 43.56" N 82° 10' 21.30" E) को केन्द्र मानकर 10 किमी0 त्रिज्या (radius) का खींचा गया वृत्त कोठरी एवं बरीपुर के मध्य वन्यजीव विहार क्षेत्र से होकर गुजरता है (संलग्नक-3)। अर्थात् आवेदित क्षेत्र कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) के अन्दर है।	
					B	25° 18' 49.22" N	82° 10' 09.84" E		
					C	25° 18' 49.80" N	82° 10' 18.72" E		
					D	25° 18' 43.56" N	82° 10' 21.30" E		
4.	भुईपारा कछार	01	33	5.00	A	25° 18' 34.50" N	82° 11' 09.96" E	वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार खण्ड सं0-33 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु- D (25° 18' 37.50" N 82° 11' 00.13" E) को केन्द्र मानकर 10 किमी0 त्रिज्या (radius) का खींचा गया वृत्त कोठरी एवं बरीपुर के मध्य सेंचुरी क्षेत्र से होकर गुजरता है (संलग्नक-4)। अर्थात् आवेदित क्षेत्र कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) के अन्दर है।	
					B	25° 18' 40.60" N	82° 11' 10.48" E		
					C	25° 18' 43.28" N	82° 11' 01.81" E		
					D	25° 18' 37.50" N	82° 11' 00.13" E		

M

AS

5.	भुईपारा खण्ड	01	34	5.00	A	25° 18' 34.50" N	82° 11' 09.96" E	वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक 06.11.2024 के अनुसार खण्ड सं०-34 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु- D (25° 18' 32.10" N 82° 11' 18.96" E) को केन्द्र मानकर 10 किमी० त्रिज्या (radius) का खींचा गया वृत्त कोठरी एवं वरीपुर के मध्य का खींचा गया वृत्त कोठरी एवं वरीपुर के मध्य से होकर गुजरता है (संलग्नक-5)। अर्थात् आवेदित क्षेत्र कछुआ वन्यजीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) के अन्दर है।
					B	25° 18' 40.60" N	82° 11' 10.48" E	
					C	25° 18' 38.19" N	82° 11' 19.94" E	
					D	25° 18' 32.10" N	82° 11' 18.96" E	

संलग्नक:- यथोपरि।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

संख्या \_\_\_\_\_ / समदिनांक।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

जाम-परानीपुर  
कांडर

वॉल्ट सं. 29

बोर्डरी के गिजटा

पिंड D (25° 18' 21.48" N 82° 09' 13.38" E)

द. 6/11/2018

0 x




Manish  
\$  
A

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Type text to search

गागा- परानीपुल कडक (बेलगाव-2) दतः 6/11/2024  
 टाव सं. 30  
 कोठी से निकटतम बिन्टु A (25° 18' 25.98" N 82° 09' 20.94" E)



Google Earth Pro  
 6/11/2024 10:30:00 AM  
 Kishan 2521500 82 19 03 4

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM

6/11/2024 10:30:00 AM


6/11/2024 10:30:00 AM

जुगिया-पकौड़ा कडाक (अलग-अलग-3)

खण्ड-32

विन्डो 18° 43' 56" N 82° 10' 21" 30" E - 0

Copyright © 2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and Windows XP are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



क्र.सं.	वर्ग	मिटर	फुट
1	कुल क्षेत्रफल	12,00,000	4,608,000
2	कृषि योग्य क्षेत्रफल	7,50,000	2,745,600
3	अन्य क्षेत्रफल	4,50,000	1,632,000

Monish

Handwritten signature or initials.

Scale: 1 cm = 100 m

Map Date: 20 March

जाग- श्रीपति

(खमियन-4)

दि 6/11/2024

खण्ड सं. 33

निकटतम बिन्दु D (25° 18' 37.50" N 82° 11' 0.13" E)

- 0 x |


Google Earth Pro  
नियंत्रण पैनल

Coordinates: 25° 18' 37.50" N 82° 11' 0.13" E

Scale: 1:100000

Layers:

- Default (Satellite)
- Terrain
- Streets
- Labels
- Borders
- Data
- Imagery Overlay
- 3D Buildings
- 3D Terrain
- 3D Roads
- 3D Water
- 3D Clouds
- 3D Atmosphere
- 3D Sun
- 3D Moon
- 3D Stars
- 3D Constellations
- 3D Planets
- 3D Comets
- 3D Nebulae
- 3D Galaxies
- 3D Universe



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Type here to search

Manish

गावा - शुद्धीगावा (खमगाव-5)      दिना 6/11/2008  
 लॉट नं. 34      (25° 18' 32.10" N 82° 11' 18.96" E)  
 विक्रीचा लिफ्ट - D



Manish  
 [Signature]  
 [Signature]

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

दूरभाष: / Ph. : 0532-2609121

आवात विकास परिषद कालोनी, रोपड़-10, योजना संख्या-3, मंती, प्रयागराज - 211019  
Email: ronravagraj@uppcb.in

पत्रांक G/01101/O.A No.: 135/2024/23-24

Annexure R-9

दिनांक 05/11/2024

सेवा में,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
प्रयागराज।

विषय: मेसर्स महिप कॉन्स्ट्रक्शन, प्रोपराईटर श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसेनकापुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-भेजा, जगपद-प्रयागराज के पक्ष में गंगा नदी के खण्ड संख्या-30, ग्राम-परानीपुर, तहसील-भेजा/हण्डिया, जगपद-प्रयागराज (रकबा-5.0 हेक्टेयर) में बालू खनन पट्टे के संचालन के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्वन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 135/2024 खुशबू सिंह वनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 24.10.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....19. This is flagrant violation of environmental laws, non application of mind, and exercise of illegal power vested in authorities which includes concerned District Magistrates as also SEIAA, UP and UPPCB.

20. Since SEIAA, UP, is not a party, It is impleaded as respondent 18, In O.A. 135/2024. Registry shall issue notice to it.

21. We do not find any explanation from record from responses submitted by concerned District Magistrates and UPPCB as to how in what circumstances mining permissions were granted or consent/clearances were issued for carrying out mining activities in such prohibited areas.

22. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB and SEIAA, UP to explain as to how and in what circumstances, consent and clearances were issued for permitting mining activities in prohibited areas and that too in violation of directions issued by Supreme Court. Similar reply shall also be submitted by concerned District Magistrates, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), Mirzapur and Prayagraj.

23. If no valid justification is submitted, Member Secretary, UPPCB, Member Secretary, SEIAA, District Magistrate, Sant Ravidas Nagar (Bhadhoi), District Magistrate, Mirzapur and District Magistrate, Prayagraj shall remain present before Tribunal on the next date.

24. List for further consideration on 20.11.2024."

अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त पट्टाधारक द्वारा राज्य बोर्ड से खनन पट्टे के संचालन हेतु सहगति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त पट्टाधारक द्वारा बालू खनन पट्टा संचालित होने की अवधि, संचालित अवधि (कार्य दिवस) में खनन किये गये कुल बालू खनन की मात्रा, खनन क्षेत्रफल तथा पट्टाधारक के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही आदि का विवरण तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अग्रतर उक्त बालू खनन पट्टा के कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 कि०मी०) के अन्तर्गत की परिधि में होने अथवा बाहर होने के सम्वन्ध में भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ० एस०सी० शुक्ला) 5/11/24  
क्षेत्रीय अधिकारी

प०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



स्वीलमंक - 10  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ नं०

Ref. No. H19.629/10-21/NGT NO-627/24

दिनांक

Date 11.11.2024

मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन, (खण्ड संख्या-30, ग्राम-परानीपुर, तहसील-मेजा/हण्डिया, जनपद-प्रयागराज)  
प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह,  
निवासी विसेनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा,  
जनपद-प्रयागराज

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 01112/एनजीटी ओ०ए० नं० 135/2024 दिनांक 08.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि ज्येष्ठ खान अधिकारी प्रयागराज के पत्र संख्या 2161/खनिज/2024-25, दिनांक 08.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन, प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसेनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत गंगा नदी के खण्ड संख्या-30, ग्राम-परानीपुर, तहसील-मेजा/हण्डिया, जनपद-प्रयागराज (रकबा-5.00 हेक्टेयर) में बालू खनन पट्टे का संचालन किया गया है। अभिलेखानुसार प्रशंगत खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत नहीं किया गया है।

ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 08.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन, प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसेनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में गंगा नदी के खण्ड संख्या-30, ग्राम-परानीपुर, तहसील-मेजा/हण्डिया, जनपद-प्रयागराज (रकबा-5.00 हेक्टेयर) क्षेत्र में उपलब्ध साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2021 से दिनांक 05.01.2026 तक के लिए स्वीकृत किया गया था। खनन पोर्टल के अनुसार पट्टा अवधि में किये गये खनन की मात्रा निम्नवत् है :-

क्र०सं०	अवधि	प्रतिबंधित (वर्षा ऋतु)	मात्रा (घनमीटर में)
01	01.01.2022 से 31.12.2022	जुलाई, अगस्त व सितम्बर	45,111
02	01.01.2023 से 31.12.2023		26,973

उक्त खनन पट्टाधारक द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक खनन कार्य किया गया एवं जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1281/खनिज/2023-24, दिनांक 11.07.2024 द्वारा उक्त खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्रेषित सूचनानुसार मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन, प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसेनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज द्वारा दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2023 तक (वर्षा ऋतु में माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर को छोड़कर) कुल 546 दिनों तक खनन पट्टे का संचालन किया गया। उक्त अवधि में प्रोसेस्ड प्रोपोनेन्ट को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन में राज्य बोर्ड से विना पूर्व सहमति प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 10000/- प्रतिदिन आती है, जिसमें PI (Pollution Index)=80, R (Penalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Small)=0.5, LF (Location Factor)=1.0 लिया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 08.11.2024 द्वारा मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन, प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसेनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज पर अवधि खनन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 54,60,000/- (रू० चत्वन लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने हेतु कारण वताओ नोटिसा निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

.....2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,

संलग्न - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.in

-2-

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रयागराज की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न खनन इकाई मेसर्स महिप कान्स्ट्रक्शन खण्ड संख्या-30, ग्राम-परानीपुर, तहसील-मेजा/हण्डिया, जनपद-प्रयागराज (रकबा-5.00 हेक्टेयर), प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह, निवासी विसैनपुरा, पोस्ट-गहरिया, उरुवा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज द्वारा राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के कारण 546 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु प्रतिदिन रू० 10000/- की दर से कुल रूपये 54,60,000/- (रू० चब्वन लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में इकाई के विरुद्ध उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

संलग्नक-यथोपरि।

*Atul Singh Yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Atul Singh Yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-2)

Annexure R-11

**कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज**  
(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1692/खनिज/2024-25

दिनांक: 22/08/2024

**आदेश**

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय रहित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 30.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी की गयी हो, तो तदसम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

7. Simultaneously, by another Gazette notification dated 17 March, 2020. State of Uttar Pradesh declared an area in the stretch of 30 km along sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary which is extended to Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur - Ganga - Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga, Boundaries- East (downstream of the River - Latitude 25.273769, Longitude- 82.287486 falling in Revenue boundary of village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi; West (upstream of the River- Latitude 25.215000, Longitude 82.194814, filling in revenue boundary of village Kotahri, Meja of District Prayagraj; North-Left Bank of River Ganga; South-Right Bank of River Ganga.

10. We find serious violation of environmental laws and that mining leases were granted illegally but no action for damage to environment has been taken by concerned authorities at all.

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-445/15-1 दिनांक 09.08.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड संख्या-34 (क्षे० 5 हे०) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-436/15-1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29 (क्षे० 5हे०), गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30 (क्षे० 5हे०) गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 (क्षे० 5हे०) व खण्ड संख्या-32 (क्षे० 5हे०), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आता है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं०-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कदला मवैया तक) रकबा 5.00हे० क्षेत्रफल में 1,00,000 घनमीटर वार्षिक साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 16.01.2021 के क्रम में प्राप्त सर्वोच्च दर रु० 89/- प्रति घनमीटर के आधार पर श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

3

उक्त खनन पट्टा से सम्बन्धित जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के मद में रू0 26,22,830.00 तथा टी0सी0एस0 मे मद में रू0 5,24,566.00 की धनराशि वकाया है।

उक्त के अतिरिक्त पत्र सं0-3265/खनिज/2022-23 दिनांक 04.03.2023 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 4,455 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु अधिरोपित धनराशि रू0 22,37,450.00 का नोटिस जारी किया गया था तथा पत्र सं0-808/खनिज/2023-24 दिनांक 07.06.2023 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 3,100 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन तथा खनन क्षेत्र में स्थित पिलर क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा पी0टी0जेड कैमरा न लगा होने के कारण शास्ति के रूप में कुल रू0 12,34,000.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए 15 दिन के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया था। पत्र सं0-126/खनिज/2024-25 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 2,259 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु शास्ति के रूप में रू0 13,81,010.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए 15 दिन के अन्दर जमा करने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया था। इस प्रकार शास्ति के रूप में कुल अधिरोपित धनराशि रू0 48,52,460.00 पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निदेशालय द्वारा संचालित UP Mining Decision Support System (upmdss) द्वारा उक्त खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में Weightbridge Notice Issued Summary (Volume Mismatch) Year 2022-24 में कुल 245 वेव-ब्रिज नोटिस धनराशि रू0 6,54,911.40 तथा Weightbridge Notice Issued Summary (Weighment Without eMM-11) Year 2022-24 में कुल 234 वेव-ब्रिज नोटिस धनराशि रू0 62,27,699.00 जारी किया गया है। इस प्रकार वेव-ब्रिज नोटिस की कुल धनराशि रू0 68,82,610.40 है।

उक्त खनन क्षेत्र हेतु अवैध खनन तथा वेव-ब्रिज नोटिस सहित कुल शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 1,17,35,070.40 है, जो पट्टेधारक द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं0-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक) रकबा-5.00हे0 क्षेत्रफल का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि में आने के कारण, उक्त खनन पट्टा को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त खनन क्षेत्र हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि रू0 16,25,000.00 को उपरोक्त शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि रू0 1,17,35,070.40 में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 1,01,10,070.40 निर्धारित लेखाशीर्षक '0853', डी0एम0एफ0 के मद में वकाया धनराशि रू0 26,22,830.00 को खाता सं0-50414947697 आई0एफ0एस0सी0 कोड- IDIB000A584 इंडियन बैंक, प्रयागराज तथा टी0सी0एस0 मे मद में वकाया धनराशि रू0 5,24,566.00 को टैन नं0-ALDD00931A में जमा कर चालान/रसीद की मूल प्रति कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर पट्टाधारक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, यदि पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त वकाया धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा कर, चालान/रसीद खनन कार्यालय, प्रयागराज में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उक्त वकाया धनराशि की वसूली हेतु पट्टाधारक के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाय।

9

(नयनीत-सिंह चहल)  
जिलाधिकारी, प्रयागराज।  
0/2

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. उपजिलाधिकारी, मेजा/हण्डिया, प्रयागराज।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज को उनके पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 के सन्दर्भ में।
8. श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज।

R

(नवनीत सिंह चहल)  
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

o/c

21/8/2024





संदर्भ सं०

Ref. No. ....1162.A.B...../C-2/NGT-74/24

Annexure-9

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ....23/8/24....

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती शकुन्ताला, खण्ड नं०-31,  
(ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन  
हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक) रकवा-5.0 हे०,  
मेजा, हण्डिया,  
प्रयागराज।

विषय- मैसर्स श्रीमती शकुन्ताला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक, रकवा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल/वायु आदेश दिनांक 20.05.2023 को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 00818/एस-642/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के आदेश संख्या 1692/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा श्रीमती शकुन्ताला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम विसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पद में जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं०-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक) रकवा-5.0 हे० क्षेत्रफल का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है, को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आने के कारण, उक्त खनन पट्टा को निरस्त किया गया है।

आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट Ref No. 182936/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO) /CTO/both/PRAYAGRAJ/2023 dated 20.05.2023 बालू खनन हेतु दिनांक 31.12.2027 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था। उक्त सहमति आदेश में अधिरोपित विशिष्ट शर्त संख्या-03 निम्नानुसार है -

"..... 3. If the lease agreement expired prior to 31.12.2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease....."

खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से खनन पट्टा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स श्रीमती शकुन्ताला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक, रकवा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 को रिवॉक/खण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स श्रीमती शकुन्ताला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक, रकवा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया जाता है तथा उक्त स्थल पर लीज आवंटन के सम्बंध में भविष्य में कोई आदेश जारी होने पर तदनुसार कार्यावाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
प्रतिनिधि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (एला-2)

टी.सी. - 112 वी, विभुति खण्ड, गोरगती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gornli Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

~~सिद्धांत~~ 13

ANNEXURE No-1

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सागाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।  
पत्रांक- 917 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, 24, सितम्बर, 2024।

सेवा में

ज्योत खन अधिकारी,  
प्रयागराज।

विषय- खनपट्ट प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गंगा नदी के गाटा सं०-1, 61क के खण्ड सं०-31 के क्षेत्र 5.00 हे० में बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-436/15-1, दिनांक-08.08.2024 तथा 'श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री पंजाब सिंह, निवासी-ग्राम-परानीपुर, गेजा, प्रयागराज का प्रार्थना पत्र दिनांक-02.09.2024 एवं उरा पर जिलाधिकारी, प्रयागराज का पत्रांक-4054, दिनांक-02.09.2024'।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का आशय ग्रहण करने का फट करें। सन्दर्भित प्रार्थना पत्र व उरा पर जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक के द्वारा खनपट्ट-प्रयागराज के तहसील-गेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम-परानीपुर कछार के गंगा नदी के गाटा सं०-1, 61क के खण्ड सं०-31 के क्षेत्र 5.00 हे० जिराका विवरण निम्नवत है की जांच पुनः गूगल अर्थ के माध्यम से की गई।

क्रम सं०	तहसील	ग्राम	आराजी/ गाटा सं०	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	रकबा (एकड़ में)	जिओकोर्डिनेट	
							आक्षांश	देशान्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गेजा	परानीपुर कछार	1, 61क	31	5.00	12.35	A	25° 18' 42.90" N 82° 10' 12.18" E
							B	25° 18' 49.22" N 82° 10' 09.84" E
							C	25° 18' 49.21" N 82° 10' 00.65" E
							D	25° 18' 42.84" N 82° 10' 03.06" E

वर्तमान गूगल इमेजरी दिनांक-24.09.2024 के अनुसार खण्ड सं०-31 का कछुआ सेंचुरी से निकटतम बिन्दु A (25° 18' 42.90" N 82° 10' 12.18" E) है। बिन्दु A को केन्द्र मानकर 10 किमी० त्रिज्या (radius) में खींचे गये वृत्त की परिधि से गंगा नदी तट की सीमा (कछुआ सेंचुरी) के ईको सेन्सिटिव जोन (10 किमी०) से बाहर होने के कारण उक्त भूखण्ड हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है-

- (1) विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 के पत्रांक 1483(4)/14-2-08-65/2004/टी०सी०-3 दिनांक 04.06.2008 के अनुपालन में खनन पट्टा स्वीकृत विनिये जाने की स्थिति में खनन पट्टा प्राप्त कर्ता द्वारा जितने क्षेत्रफल में खनन किया जायेगा, उतने क्षेत्रफल में अथवा न्यूनतम 1.00 एकड़ क्षेत्रफल में स्थानीय प्रजाति 200 फलदार/छायादार वृक्षों को रोपण सिंचाई एवं फेसिंग के साथ पट्टा प्राप्त कर्ता स्वयं अपने निजी श्रोतों से करेंगे। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले खनन पट्टों के अनापत्ति के मामलों में प्रति एकड़ 200 वृक्षों की दर से वृक्ष लगाने होंगे, जो पूर्णांक में नहीं होगा। अर्थात् इस शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पट्टाधारक को निम्न तालिका के अनुसार पौध रोपित किया जाना अनिवार्य होगा।

क्रम सं०	तहसील	ग्राम	आराजी/ गाटा सं०	खण्ड सं०	रकबा (हे० में)	रकबा (एकड़ में)	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 के पत्रांक 1483(4)/14-2-08-65/2004/टी०सी०-3 दिनांक 04.06.2008 के अनुसार रोपित किये जाने हेतु पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गेजा	परानीपुर कछार	1, 61क	31	5.00	12.35	2600

- इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी प्रयागराज का पत्रांक-2999/खनन/2022-23, दिनांक-10.02.2023 अवलोकनीय है।
- (2) जिलाधिकारी प्रयागराज के पत्रांक-2999/खनन/2022-23, दिनांक-10.02.2023 के अनुसार पट्टाधारक द्वारा पट्टा समर्पण के उपरान्त खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की दी गयी शर्तों के अनुसार उपखण्ड (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत "खान बन्द करने की योजना के अनुसार भूमि उद्धार पुनर्वास उपाय, वृक्षारोपण आदि की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्त (1) का अनुपालन तदनुसार किये जाने की सूचना वन विभाग/पर्यावरण विभाग को प्रेषित करना होगा। इस शर्त/शासनादेश के उल्लंघन की दशा में पट्टाधारक व खनन विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (3) भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- (4) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- (5) शासनादेश संख्या-304/10-11-90-29/90 दिनांक 10-11-90 के पैरा-1 व 2 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- (6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-98 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

A

- (7) पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
- (8) वन्य जीव संरक्षण के सभी नियमों व प्राविधानों का पालन किया जायेगा।
- (9) वन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का सीमांकन कार्य रतम को मौके पर फिक्सा कर राजस्व/वन विभाग एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- (10) परिवहन हेतु वन क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- (11) वन अपराध होने की दशा में खनन एवं निगरानी का कार्य रोक देने का अधिकार वन विभाग को होगा।
- (12) वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किसी भी समय जांच के लिये गांगे गये अभिलेखों को पट्टाधारक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) वन अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन कालान्तर में होने पर उल्लिखित शर्तों में संशोधन करने अन्यथा समाप्त करने का अधिकार वन विभाग का होगा।
- (14) अनुज्ञा पत्र/पट्टा की अवधि समाप्त होते समय एवं नवीनीकरण के पहले वन विभाग से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
- (15) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उसी क्षेत्र के लिए मान्य होगा, जिसके लिए आवेदन पत्र किया गया है और क्षेत्रफल की सीमा दर्शाई गई है तथा जिस क्षेत्र के लिए निर्गत किया गया है।
- (16) पट्टाधारी के खनन के अतिरिक्त सम्मिलित भूमि को अन्य किसी परियोजना में लाने का अधिकार नहीं होगा और न तो उस भूमि अथवा अनुज्ञा पत्र को किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।
- (17) स्थानीय दुलान हेतु खनना जारी किया जाना आवश्यक होगा।
- (18) वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी समय खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र का मौका मुआयना व फील्ड जांच किये जाने का अधिकार होगा।
- (19) खनन क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र के पट्टाधारक द्वारा वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्यन्धित अभिलेखों को उपलब्ध कराना, मौका मुआयना एवं फील्ड जांच के दौरान पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- (20) विशेष सचिव, उ० प्र० शासन उद्योग अनुभाग-II के पत्र दिनांक 21.04.1998 के अनुसार वन क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का खनन कार्य के लिए खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (21) गोडावर्मन थिरुमलकपाद वनायुनियन आफ इंडिया में परिभाषित वन क्षेत्रों में कोई भी परमिट बिना भारत सरकार की अनुमति के जारी नहीं किया जायेगा।
- (22) पट्टाधारकों द्वारा वन एवं वन्य जीवन परिस्थितिकी एवं पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
- (23) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करते हुये स्थल पर मौजूद वृक्षों को यथायत रहने दिया जायेगा तथा वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (24) खनन स्थल के आसपास स्थित वृक्षों तथा वन्य जीवों को कोई हानि नहीं पहुँचायी जायेगी।
- (25) उल्लिखित शर्तों एवं तद्विषयक अन्य सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं प्राविधानों का उल्लंघन होने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। वन विभाग को ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने/निरस्त करने/संशोधित करने अथवा अन्य आवश्यक शर्तों को जोड़ने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (26) खनन पट्टाधारकों को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में निम्नलिखित खनन पट्टा क्षेत्र के आकांश एवं देशान्तर के अनुसार सीमांकन एवं स्थायी सीमा स्तम्भों द्वारा सीमा बन्दी किया जाना आवश्यक होगा, ताकि उसके बाहर खनन कार्य की सम्भावना न रहे।

क्रम सं०	तहसील	ग्राम	आराजी/गाटा सं०	खण्ड सं०	रकबा (हे० मे)	रकबा (एकड़ मे)	जिओकोर्डिनेट		
							आकांश	देशान्तर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	मेजा	परानीपुर कछार	1, 61क	31	5.00	12.35	A	25° 18' 42.90" N	82° 10' 12.18" E
							B	25° 18' 49.22" N	82° 10' 09.84" E
							C	25° 18' 49.21" N	82° 10' 00.65" E
							D	25° 18' 42.84" N	82° 10' 03.06" E

यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार चिह्नित क्षेत्र के लिए ही मान्य होगा। इससे इतर किये गये खनन को अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा।

संख्या- 917- /समदिनांकित।  
प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मेजा एवं सूचनाार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

